

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

Email: secraj@rajasthan.gov.in

दिनांक :- 23/01/26

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/882

आदेश

सा.आ. क्रमांक: 151/2026 - राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 के उप नियम (1) में यह प्रावधान है कि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, ऐसे साधारण या विशेष निर्देशों के अध्यक्षीन रहते हुये, जो निर्वाचन आयोग समय-समय पर इस निमित्त जारी करें, मतपत्रों की गणना के समय अपनी ओर से उपस्थित रहने के लिये गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा।

उक्त के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 362/27.10.1994 (सां. आ. 07/1994) को अधिक्रमित करते हुए उक्त नियमों के नियम 58 के उप नियम (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश देता है कि निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों से मतों की गणना के लिये निर्धारित तारीख से कम से कम 2 दिन पहले गणन अभिकर्ताओं की सूची मय उनके फोटो रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा प्राप्त की जायेगी। फोटो सहित ऐसी सूची देने पर, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों के गणन अभिकर्ताओं के फोटो पहचान पत्र गणन अभिकर्ता के लिये बनाये गये बैजेज पर फोटो चिपकायी जाकर तैयार किये जायेंगे तथा एक फोटो प्ररूप-19 पर चिपकायी जायेगी। गणन अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की फोटोएं संबंधित व्यक्ति जो कि गणन अभिकर्ता के रूप में अपनी सहमति देता है, के द्वारा हस्ताक्षरित होगी और अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा प्रमाणित की जायेगी। मतों की गणना के दिन केवल फोटो पहचान पत्र वाले गणन अभिकर्ताओं को ही गणना हॉल के अन्दर जाने की अनुमति दी जायेगी।

आज्ञा से,

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/883-886

दिनांक :- 23/01/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
3. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन में हेतु ई-गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई-मेल करवाने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।

(अम्बालाल मीणा)

उप सचिव